न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 141/2005(आरसीएमएस संख्या : 2005/00004)

सरकार जरिये तहसीलदार, फागी। प्रार्थी,

बनाम

बद्रीनारायण पुत्र श्री भूरामल, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम मोरडी, तह0–फागी, जिला–जयपुर। (मृतक)

1/1 सत्यनारायण पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम समेलिया, तह0–फागी, जिला–जयपुर।

1/2 पुरूषोतम पुत्र स्व0 श्री बद्रीनारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम समेलिया, तह0–फागी, जिला–जयपुर।

1/3 मूली देवी पत्नी स्व0 श्री बद्रीनारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–ग्राम समेलिया, तह0–फागी, जिला–जयपुर।

1/4 रूकमणी देवी पत्नी श्री रामकिशोर शर्मा पुत्री स्व0 श्री बद्रीनारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–प्लॉट नं0–115/241, रामतीर्थ मार्ग, आकाशदीप कॉलेज के पीछे, थडी मार्केट, मानसरोवर, जयपुर।

1/5 राधा देवी पत्नी श्री छोटूराम शर्मा पुत्री स्व0 श्री बद्रीनारायण, जाति–ब्राह्मण, निवासी–प्लॉट नं0–सी 31, गायत्री कॉलोनी, पारदिया हॉस्पिटल के पीछे, डिग्गी रोड, सांगानेर, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार।
2. अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित, अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 25.10.2019

तहसीलदार, फागी द्वारा यह निवेदन किया गया हैं कि ग्राम–मोरडी की आबादी खसरा नं0 298 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा भूमि माफी मन्दिर श्री द्वारकाधीस विराजमान समेलिया बहतमाम पुजारी बदरीनारायण पुत्र श्री भूरालाल,

जाति–ब्राह्मम्ण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में दर्ज थी जो कालान्तर में बिना किसी वैध आदेश के माफी मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया बहतमाम पुजारी बदरीनारायण पुत्र श्री भूरालाल, जाति–ब्राह्मम्ण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के बजाय पुजारी बदरीनारायण पुत्र भूरालाल कौम–ब्राह्मण के नाम दर्ज हो गई और जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में भी बदरीनारायण पुत्र भूरालाल के नाम दर्ज है जो पुनः माफी मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। विद्वान् पेरोकार ने रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 के कॉलम सं0 03 नाम मातमीदार व हिस्सेदार में माफी मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया बहतमाम पुजारी बदरीनारायण पुत्र श्री भूरालाल, जाति–ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम सं0 04 नाम खातेदार मय वल्दियत, कोमियत व सकूनत में खुदकाश्त माफीदार दर्ज थी जो बिना किसी वैध आदेश के अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारी बदरीनारायण के नाम दर्ज की गई है जो अनुचित हैं और बिना वैध और बिना सक्षम आदेशों के किया गया हस्तानान्तरण प्रारम्भ से शून्य होने से काबिले निरस्त हैं। मन्दिर/मूर्ति शाश्वत नाबालिग है, शाश्वत नाबालिग के हितो की रक्षा करना सरकार का दायित्व है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 की धारा 46 के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वयं काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को खातेदारी अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गऐ है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेंगे अतः

इन्द्राजों को निरस्त कर विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया खुदकाश्त माफीदार के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

हमने विद्वान् पेरोकार सरकार की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता हैं कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2011–2030 में माफी मन्दिर श्री मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया बहतमाम पुजारी बदरीनारायण पुत्र श्री भूरालाल, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। देवमूर्ति की आराजी पर यदि पुजारी द्वारा भी काश्त की गई है तो भी खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया बहतमाम पुजारी बदरीनारायण पुत्र श्री भूरालाल, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया साकिन देह खुदकाश्त माफीदार दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया बहतमाम पुजारी बदरीनारायण पुत्र श्री भूरालाल, जाति–ब्राह्मण साकिन देह खुदकाश्त माफीदार की भूमि का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2059–2062 में निजी खातेदारी अप्रार्थी के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी

वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये किया गया इन्द्राज तथा पश्चात्वर्ती इन्द्राज नामान्तरकरण वादग्रस्त आराजी की सीमा तक प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में इन इन्द्राजों को निरस्त कर उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी वापिस माफी मन्दिर श्री मन्दिर श्री द्वारकाधीस जी विराजमान समेलिया साकिन देह खुदकाश्त माफीदार के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 23.12.2019 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर